

प्रेस विज्ञप्ति

सतीदों, 15 जुलाई, 2017:

'जीएसटी पर मोदी जी— खट्टर जी जिद छोड़ें, जनता पर मूसीबतों का पहाड़ न तोड़ें'

'जीएसटी टैक्स दरें हों जायज, अधिकतम जीएसटी 40% की बजाए हो 18%।'

'जीएसटी में 'इंस्पेक्टरी राज' पर जोर, दुकानदार—व्यापारी को किया कमज़ोर।'

'रोजमर्हा की चीजों में बेतहाशा महंगाई, कपड़ा व प्लाईवुड उद्योग में भारी मंदी छाई।'

आज पूरे देश व प्रदेश की जनता के मुंह पर एक ही नारा है – ‘मोदी–खट्टर जिद छोड़ो, जनता की कमर मत तोड़ो।’ कांग्रेस ने भाजपा सरकारों व प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री, श्री मनोहर लाल खट्टर से जीएसटी मामले में झूठी जिद छोड़कर दुकानदारों, उद्यमियों व आम जनता को राहत देने की मांग की है।

यह मांग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भीड़िया प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज सफीदों में ‘व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए रखी। इस विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन पूर्व मंत्री, श्री बघन सिंह आर्य व युवा कांग्रेस महासचिव, श्री अशोक आर्य द्वारा मौजूदा जीएसटी प्रणाली के विरोध में किया गया और इस सम्मेलन में प्रदेशभर से आए व्यापारी, दुकानदार, कारोबारियों के अलावा भिन्न-भिन्न व्यापारी संगठनों व पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे जीएसटी के कथित झूठ पर बोलते हुए, श्री सुरजेवाला ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा परिकल्पित जीएसटी मौजूदा जीएसटी से पूरी तरह अलग है। कांग्रेस का जीएसटी सरल व जनहितैषी था तथा इसमें अधिकतम टैक्स दर 18 प्रतिशत थी, लेकिन भाजपा का जीएसटी जटिल और महंगाई बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जीएसटी के द्वारा 7 विभिन्न टैक्स दरें लागू कर दी हैं, (0.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत, 40 प्रतिशत), यह दुनिया में सबसे अधिक टैक्स है। इसके अलावा और अधिक टैक्स लगाने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अलग—अलग मदों में अतिरिक्त कर लगा सकती हैं। यदि कांग्रेस द्वारा लाया जीएसटी लागू किया गया होता, तो निश्चित ही हम एक टैक्स दर (तीन स्लैब्स के साथ) के लिए प्रतिबद्धता से काम करते और जीएसटी की अधिकतम सीमा 18 प्रतिशत ही होती।

व्यापारियों को संबोधित करते हुए, श्री सुरजेवाला ने यह भी कहा कि टैक्स दरों का निर्धारण संसद में जीएसटी कानून में नहीं हुआ, बल्कि इनका निर्धारण भाजपा द्वारा वायदा खिलाफी करते हुए बाद में जीएसटी काउंसिल तथा सरकारी आदेशों से कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी व विष्फ़ा दलों को विश्वास तक में नहीं लिया गया।

जीएसटी में हर साल 37 रिटर्न – उलझन व सरदर्दी

भाजपा द्वारा लाया गया जीएसटी इतना उलझनभरा है जिसमें टैक्सदाता साल में 37 बार रिटर्न भरने की भूल-भुलैया में उलझकर रह जाएगा। व्यापारियों की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगता है कि यदि कोई टैक्सदाता 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापार करता है, तो उसे एक साल में 1332 रिटर्न भरनी होंगी। उन्होंने कहा कि यदि वो रिटर्न ही भरता रहेगा, तो किर अपना व्यापार कब करेगा। यह भी सोचने वाली बात है।

दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर बेतहाशा टैक्स

जीएसटी के प्रावधानों की विस्तृत वर्चार्य करते हुए श्री सुरजेवाला ने ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ पर बेतहाशा टैक्स लगाने के लिए भाजपा की मंशा पर सवाल खड़े किए। सवाल पूछते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने जीएसटी में शैंपू/कपड़े धोने का डिटरजेंट, एसी/टीवी/वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर/मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, छोटी कारें, 100 रु. से अधिक के फिल्म के टिकट, वाहनों पर ईएमआई, सीमेंट, चेस बोर्ड/योगा मैट पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स क्यों लगाया? इसी प्रकार फूड एवं बेवरेज, क्रेडिट कार्ड द्वारा पेमेंट एवं सभी बैंकिंग सेवाओं, इंश्योरेंस प्रीमियम एवं वित्तीय सेवाओं, टेलीफोन/सेल फोन शुल्क, हेलमेट, कोचिंग क्लासेस, टूर एवं ट्रैवल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एवं हॉस्पिटल, संपूर्ण कॉन्स्ट्रक्शन थोक्र, आईसक्रीम/हेयरऑइल/टूथप्रेस्ट/साबुन/सूप/कॉर्नप्लेक्स, टेक्सटाईल/मैनमेड फाईबर/डाई/एम्ब्रॉयडरी, होम लोन/कंज्यूमर ड्यूरेबल/मेडिसीन/इंश्योरेंस, फोटो-योल्टेक सेल, मिनरल वॉटर पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्सभार क्यों डाला गया?

डायलिसिस, ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, अल्ट्रा-साउंड आदि जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर 12 से 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, 1000 रु. से अधिक मूल्य के कपड़े/जूते, चाय/कॉफी/मक्खन, बिस्कुट, दही/मिठाई/जूस पर 12 से 28 प्रतिशत की दर से टैक्स क्यों लगाया गया? इसी तरह बादाम एवं मेवों पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगाने और काजू को 5 प्रतिशत की टैक्स सीमा में रखने के पीछे क्या तर्क हो सकता है?

जीएसटी के बाद रसोई गैस की कीमत बढ़कर 564 रु. प्रति सिलेंडर हो गई, क्योंकि इस पर 27 रु. प्रति सिलेंडर टैक्स लगाया गया। इसी तरह मिट्टी के तेल पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया, जो पहले 0 प्रतिशत था। यहां तक कि तेल, मसालों व दलिया आदि पर 5 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक जीएसटी लगा दिया गया।

कपड़ा व प्लाईवुड उद्योग पर सबसे कड़ा प्रहार

श्री सुरजेवाला ने कहा कि कपड़ा उद्योग देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है। जीएसटी की मनमानी ड्यूटी संरचना से इस सेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और छोटे, लघु एवं मध्यम निर्माताओं, कारोबारियों, कपड़ा व्यापारियों तथा दुकानदारों की रोजी-रोटी बंद हो जाएगी। श्री सुरजेवाला ने बताया कि एक तरफ तो सरकार ने फैब्रिक (कपड़ा) को 5 प्रतिशत की टैक्सदर रखकर भोलेभाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ हस्तनिर्मित फाईबर एवं धागों, डाईग और प्रिंटिंग तथा एम्ब्रॉयडरी पर 18 प्रतिशत का ऊंचा टैक्स लगा दिया है। इससे छोटी, लघु तथा नॉन-इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनियों का कारोबार ठप्प पड़ जाएगा और कपड़ा उद्योग की बड़ी कंपनियां भारी फायदा कराएंगी। घौकानेवाली बात तो यह है कि एक तरफ भारतीय फैब्रिक निर्माताओं पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ने धीन, बंगलादेश, श्रीलंका और अन्य देशों से मंगाए जाने वाले आयातित फैब्रिक पर केवल 5 प्रतिशत का टैक्स लगाया है, जिससे भारत में कपड़ा उद्योग की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।

प्लाईवुड उद्योग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने से सारा लकड़ी व प्लाईवुड उद्योग तालाबंदी की कगार पर है, चाहे वह यमुनानगर में हो या रोहतक में।

खेती-बाढ़ी पर टैक्स लगाया – भाजपा का किसान-विरोधी चेहरा बेनकाब

भाजपा सरकार ने जीएसटी के माध्यम से किसान और खेती-बाढ़ी पर दोहरी मार मारते हुए टैक्स लगा दिया है। ज्यादातर राज्यों में खाद पर 0 प्रतिशत टैक्स लगता था। पहले भाजपा ने खाद पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया, लेकिन कांग्रेस के विरोध के बाद इस टैक्स को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया। इसी तरह देश के किसानों की दुर्दशा पर आंखें मूंदते हुए कीटनाशकों पर 28 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया। खेती-बाढ़ी के लिए ऐसा प्रतिकूल फैसला क्यों किया गया, यह चिंतनीय मुद्दा है।

हद तो तब हो गई, जब ट्रैक्टर एवं सभी कृषि उपकरणों पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगा दिया गया। पीछे के दरवाजे से टायरों, ट्यूब, इंजन और ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के पुर्जों तथा अन्य कृषि उपकरणों पर 28 प्रतिशत का टैक्स थोप दिया गया, जिससे खेती-बाढ़ी पर प्रभावी टैक्स 28 प्रतिशत हो जाएगा। कोल्ड स्टोर एवं वेयरहाउसों के निर्माण पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है। इन सबसे भाजपा का दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि जनता को राहत मिले

श्री सुरजेवाला ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी में लाया जाए। उन्होंने कहा कि तेल रिफाईनरियों द्वारा पेट्रोल उत्पादन का खर्चा केवल 23.03 रु. आता है, लेकिन बाजार में हम इसकी कीमत 63.46 रु. देते हैं, यानि कि 40.43 रु. टैक्स है। इसी प्रकार डीजल की उत्पादन लागत 23.86 रु. है, जबकि बाजार भाव 54.06 रु. है। यानि डीजल पर 30.20 रु. सरकार टैक्स है। यदि यही टैक्स 18 प्रतिशत जीएसटी की दर में आ जाए, तो डीजल व पेट्रोल की कीमतें आज ही 25 रु. प्रति लीटर कम हो जाएं।

व्यापारी सम्मेलन को पूर्व मंत्री व किंचियकों, श्री बचन सिंह आर्य, श्री रमेश गुप्ता, श्री पवन दीवान, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री फूल सिंह बाल्मीकी, हरियाणा किसान कांग्रेस अध्यक्ष, श्री भूपेंद्र सिंह फोगाट, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव, श्री सुरेश यूनुसपुर व श्री नाहर सिंह संघ, हरियाणा कृषक समाज अध्यक्ष, श्री ईश्वर नैन, युवा कांग्रेस महासचिव, श्री अशोक आर्य व 30 से अधिक शहरों से आए व्यापारी व किराना संगठनों तथा राज्य की अन्य ट्रेड इकाईयों के अध्यक्षों ने भी संबोधित किया।